न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा
(निर्णय बईजलास कैलाश चन्द मीना आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)
प्रकरण संख्याः 50/2021/अपील/आर्म्स एक्ट/बूंदी
दायरा दिनांकः 11.1.2021
अन्तर्गत धाराः 18 आर्म्स एक्ट,1959

उनवान

हरिसिंह पुत्र मोतीलाल जाति रेबारी निवासी बंजारा बस्ती वार्ड संख्या 5 सुमेरगंज मण्डी तहसील एंव थाना इन्द्रगढ जिला बूंदी।

...अपीलार्थी

बनाम

राज0 सरकार जरिये जिला कलक्टर एव जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री दीपक कुमार साहू अभिभाषक अपीलार्थी
श्री सैफुद्धीन असांरी राजकीय अभिभाषक रेस्पो0

:::निर्णय:::

दिनांक 22.2.2021

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बूंदी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा आदेश कमांकः न्याय/2019/9000 दिनांक 14.8.2019 (संक्षेप मे अपीलाधीन आदेश) से अप्रसन्न होकर यह अपील आर्म्स एक्ट, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि अपीलार्थी ने उसको जिला मजिस्ट्रेट फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से आर्म्स अनुज्ञापत्र संख्या 425 मे दर्ज एक 12 बोर एसबीवीएल गन नं0 एच आई एम 05910–12 नवीनीकृत दिनांक 19.1.2021 को दर्ज कर आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण हेतु जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बूंदी के यहां दिनांक 14.6.2018 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। नवीनीकरण के संबध मे जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी द्वारा रिपोर्ट कमांक डीएसबी/बूंदी/18/6523 दिनांक 24.7.2018 से शस्त्र अनुज्ञापत्र को दर्ज कर नवीनीकरण करने की अनुशंसा नहो की जाने पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त आशय के प्रार्थना पत्र को निरस्त कर अपीलाधीन आदेश/पत्र से सूचित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने न्यायालय हाजा मे अपील इस आशय के साथ पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश वस्तुस्थिति एवं विधान के विपरीत है। क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि अपीलार्थी के पूर्वज ग्राम बालापुरा बूंदी मे निवास करते थे। अपीलार्थी स्थयी रूप से सुमेरगंज मण्डी मे मय परिवार के निवास करते है तथा समस्त चल अचल सम्पत्ति भी सुमेरगंजमण्डी मे स्थित है। अपीलांट गार्ड का व्यवसाय करता चला आ रहा है इसी से परिवार का पालन पोषण करता है जिसकी पुष्टि तहसील इन्द्रगढ की रिपोर्ट दिनांक 2.11.2018 से होती है। अपीलांट खाने कमाने मजदूरी करने फिरोजाबाद चला गया था जंहा से उक्त वर्णित शस्त्र का नवीनीकरण दिनांक 19.1.2021 तक हो रहा है। अब अपीलांट स्थायी रूप से सुमेरगंजमण्डी बूंदी जिले मे रहने से शस्त्र का नवीनीकरण कराना चाहता है। जिला मजि0 बूंदी ने नवीनीकरण के संबध मे जिला मजि0 फिरोजाबाद से रिपोर्ट तलब की गई थी जिला मजि0 फिरोजाबाद ने अपीलांट के शस्त्र को नवीनीकरण करने मे कोई आपत्ति नही जताई है। अपीलांट नेक चलन है जिसकी पुष्टि तह0 इन्द्रगढ की रिपोर्ट से होती है। पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट गलत तथ्यों पर आधारित है क्योंकि अकारण ही अपीलांट का चाल चलन ठीक होना नही बताया गया। उक्त रिपोर्ट बिना जांच किये प्रस्तुत की गई है। अपीलांट पर कोई आपराधिक प्रकरण किसी न्यायालय मे जेरकार नही है न ही कोई गंभीर फौजदारी प्रकरण किसी थाने मे दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना पुलिस अधीक्षक की उक्त रिपोर्ट को आधार बनाकर प्रार्थना पत्र खारिज करने मे त्रुटि की है। जेरअपील आदेश न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

होने योग्य है। उक्त आदेश की दिनांक 20.5.2020 को जानकारी होने पर अपील धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई। अतः विलम्ब अवधि क्षम्य की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर उक्त वर्णित लाईसेन्स दर्ज कर नवीनीकरण के आदेश अधीनस्थ न्यायालय को प्रदान किये जाने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये मौखिक रूप से तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी गार्ड की प्राईवेट नौकरी कर परिवार का पेट पालन करता है जिसके लिये शस्त्र की आवश्यकता होती है। अपीलांट मूल रूप से सुमेरगंज मण्डी जिला बूंदी का निवासी है। फिरोजाबाद मजदूरी करने गया था वहा से आर्म्स लाईसेन्स नवीनीकरण कराया था जो दिनांक 19.1.2021 तक नवीनीकरण हो रहा है। जिला मजि0 फिरोजाबाद ने अपीलांट के शस्त्र अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण करने मे कोई आपत्ति जाहिर नही की है। जिला पुलिस अधीक्षक ने अपीलार्थी के चाल चलन की जांच किये बिना मनमर्जी पूर्वक रिपोर्ट पेश कर शस्त्र अनुज्ञापत्र को दर्ज कर नवीनीकरण की अनुशसां नही करने से जिला मजि0 बूंदी ने अपीलार्थी के आवेदन पत्र को बिना तथ्यों की जांच किये मात्र पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर खारिज करने मे त्रुटि की है। अपीलार्थी का चाल चलन ठीक है जिसकी पुष्टि तहसीलदार व थाने की रिपोर्ट से हो जाती है। अपीलार्थी के विरूद्ध पिछले 2 वर्षो मे कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नही हुआ है ना ही कानून व्यवस्था भंग की है। उक्त आशय का शपथ प्रश्नगत अपील प्रकरण मे प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त किया जाकर अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञापत्र दर्ज कर आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण किये जाने के आदेश अधीनस्थ न्यायलय को प्रदान किये जावे।

4 विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस मे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होना प्रकट करते हुये जाहिर किया कि जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी ने अपीलार्थी द्वारा धारित शस्त्र अनुज्ञापत्र को दर्ज कर नवीनीकरण करने की अनुशंसा नही की जाने के फलस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 14.6.2018 जेरअपील आदेश से खारिज किया है जिसमे कोई त्रुटि नही है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाने योग्य है।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक पर मनन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है। विलम्ब अवधि क्षम्य हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का तथा स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है। शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों का रेस्पो0 राजकीय अधिवक्ता द्वारा खण्डन नही किया गया तथा ना ही खण्डन मे कोई साक्ष्य सबूत पेश किये गये ऐसी स्थिति मे अपीलांट द्वारा शपथ पत्र मे उल्लेखित तथ्यों को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है लिहाजा न्यायहित मे अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

6 पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने उसको जिला मजिस्ट्रेट फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से आर्म्स अनुज्ञापत्र संख्या 425 मे दर्ज एक 12 बोर एसबीवीएल गन नं0 एच आई एम 05910–12 नवीनीकृत दिनांक 19.1.2021 को दर्ज कर आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण हेतु जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बूंदी के यहां दिनांक 14.6.2018 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसके नवीनीकरण के बावत जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी द्वारा रिपोर्ट कमांक डीएसबी/बूंदी/18/6523 दिनांक 24.7.2018 से शस्त्र अनुज्ञापत्र को दर्ज कर नवीनीकरण करने की अनुशंसा नही की जाने पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त आशय के प्रार्थना पत्र को जिला कलक्टर एवं जिला मजि0 बूंदी ने निरस्त कर अपीलाधीन आदेश/पत्र से अपीलार्थी को सूचित किया गया। प्रश्नगत अपील प्रकरण मे अपीलार्थी का मुख्य तर्क है कि वह तथा उसका परिवार मूलतः सुमेरगंजमण्डी तह0 इन्द्रगढ मे निवासरत है तथा प्राईवेट गार्ड की नोकरी कर परिवार का पालन पोषण करता है जिसके लिये उसको शस्त्र की आवश्यकता रहती है। अपीलार्थी के विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नही है तथा ना ही कभी शान्ति व्यवस्थ भंग की है। प्रकरण मे उसका यह भी तर्क रहा है कि तहसीलदार व थाना इन्द्रगढ से उसका चाल चलन ठीक होने की रिपोर्ट प्रेषित की गई है किन्तु जिला पुलिस अधीक्षक ने अनुज्ञापत्र दर्ज कर नवीनीकरण करने की अनुशंसा नही की गई। जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी की रिपोर्ट गलत तथ्यों पर आधारित है। अधीनस्थ न्यायालय ने

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

तथ्यों पर गौर किये बिना ही जेरअपील आदेश पारित कर त्रुटि की है। अपीलार्थी के उक्त तर्क के संबध मे पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख तहसीलदार इन्द्रगढ की रिपोर्ट के अवलोकन से अपीलार्थी लगभग 5–6 साल से सुमेरगंजमण्डी वार्ड नं0 5 बजांरा बस्ती मे निवासरत होना तथा आचरण सही होना प्रकट होता है। जबकि जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी की रिपोर्ट दिनांक 24.7.2018 के बिन्दू सं0 2 मे अनुज्ञापत्रधारी का चरित्र एवं चाल चलन ठीक नही होना वर्णित है। बिन्दू सं0 4 मे दिनांक 5.7.2018 को शांति भंग के आरोप मे धारा 151 सीपीसी मे पाबन्द किया जाना तथा आपसी रंजिश होने से शस्त्र का दुरूपयोग किया जा सकता है वर्णित करते हुये शस्त्र नवीनीकरण की अनुशंसा नही की गई। उक्त तथ्यों के अवलोकन से तहसीलदार द्वारा अपीलार्थी के निवास एंव चाल चलन के संबध मे प्रस्तुत रिपोर्ट एंव जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी की उक्त रिपोर्ट मे परस्पर विरोधाभाष होना प्रकट होता है। जहां तक शांति भंग के आरोप मे धारा 151 सीपीसी मे अपीलार्थी को पाबन्द किये जाने का प्रश्न है अपीलार्थी द्वारा हस्तगत अपील प्रकरण मे स्वयं द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र मे वर्णित किया है पिछले 2 वर्षो मे किसी भी लडाई झगडा नही हुआ तथा ना ही शांति भंग की गई एंव कोई मुकदमा दर्ज नही है। हथियार का दुरूपयोग नही किया तथा ना ही भविष्य मे किसी से लडाई झगडा करेगा। उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर प्रथम दृष्टया स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी प्राईवेट गार्ड की नोकरी करता है जिसके लिये उसको शस्त्र की आवश्यकता रहती है। जिला पुलिस अधीक्षक एवं तहसीलदार द्वारा अपीलार्थी के निवासरत होने एंव चाल चलन की प्रस्तुत की गई रिपोर्ट परस्पर विरोधाभाषी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश मे ऐसे कोई तथ्य इंगित नही है जिससे कानून एंव शांति व्यवस्था की दृष्टि से अपीलार्थी के शस्त्र अनुज्ञापत्र के नवीनीकरण मे बाधक हो। अपीलार्थी द्वारा हस्तगत प्रकरण मे शपथ पत्र प्रस्तुत कर वर्णित किया है कि पिछले 2 वर्षो मे किसी भी लडाई झगडा नही हुआ तथा ना ही शांति भंग की गई एंव कोई मुकदमा दर्ज नही है। हथियार का दुरूपयोग नही किया तथा ना ही भविष्य मे किसी से लडाई झगडा करेगा। प्रथम दृष्टया विश्वसनीय प्रकट होता है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय ने जेरअपील आदेश तथ्यो का समुचित परीक्षण किये बिना पारित किया जाना प्रकट होता है। अतः उपरोक्त विवेचन अनुसारन हम अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.8.2019 को न्यायोचित नही पाते है। परिणामस्वरूप अपील अपीलांट आशिक रूप से स्वीकार की जाकर जेरअपील आदेश दिनांक 14.8.2019 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि निर्णय के पैरा सं0 6 मे विवेचित उक्त तथ्यों का समुचित परीक्षण कर अपीलार्थी द्वारा शस्त्र अनुज्ञापत्र दर्ज कर नवीनीकरण करने के संबध मे दिनांक 14.6.2018 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संदर्भ मे पुनः तथ्यात्मक एंव विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

7 निर्णय आज दिनांक 22.2.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

22/2/21

(कैलाश चन्द मीना)
संभागीय आयुक्त
कोटा